Rule 10 : Issue of registration certificate

(1) Subject to the provisions of sub-section (12) of section 25, where the application for grant of registration has been approved under rule 9, a certificate of registration in **FORM GST REG-06** showing the principal place of business and additional place or places of business shall be made available to the applicant on the common portal and a Goods and Services Tax Identification Number shall be assigned subject to the following characters, namely;

- **(a)** two characters for the State code;
- **(b)** ten characters for the Permanent Account Number or the Tax Deduction and Collection Account Number;
- **(c)** two characters for the entity code; and
- **(d)** one checksum character.

(2) The registration shall be effective from the date on which the person becomes liable to registration where the application for registration has been submitted within a period of thirty days from such date.

(3) Where an application for registration has been submitted by the applicant after the expiry of thirty days from the date of his becoming liable to registration, the effective date of registration shall be the date of the grant of registration under sub-rule (1) or sub-rule (3) or sub-rule (5) of rule 9.

(4) Every certificate of registration shall be [1][duly signed or verified through electronic verification code] by the proper officer under the Act.

(5) Where the registration has been granted under sub-rule (5) of rule 9, the applicant shall be communicated the registration number, and the certificate of registration under sub-rule (1), duly signed or verified through electronic verification code, shall be made available to him on the common portal, within a period of three days after the expiry of the period specified in sub-rule (5) of rule 9.

---

1 Substituted for "digitally signed" by Noti. No. 07/2017–Central Tax, dt. 27-06-2017 w.e.f. 22-06-2017.

नियम 10 : रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का जारी किया जाना

(1) धारा 25 की उपधारा (12) के उपबंधों के अध्यधीन, जहां रजिस्ट्रीकरण किए जाने के लिए आवेदन का नियम 9 के अधीन अनुमोदन कर दिया गया है, वहां आवेदक को कारबार के मुख्य स्थान और कारबार का (के) अतिरिक्त स्थान या स्थानों को दर्शित करते हुए **प्ररूप जीएसटी आरईजी–06** में सामान्य पोर्टल पर एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध करवाया जाएगा तथा माल और सेवा कर पहचान संख्यांक निम्नलिखित वर्णों के अध्यधीन समनुदेशित किया जाएगा; अर्थात् :

(क) राज्य कोड के लिए दो वर्ण ;

(ख) स्थायी लेखा संख्यांक या कर कटौती और संग्रहण लेखा संख्यांक के लिए दो वर्ण;

(ग) अस्तिव कोर्ड के लिए दो वर्ण ; और

(घ) एक चैकसम वर्ण।

(2) जहां रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाता है।

(3) जहां आवेदक द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन, उसके रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी हो जाने की तारीख से तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रस्तुत किया गया है, वहां रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रभावी तारीख, नियम 9 के उपनियम (1) या उपनियम (3) या उपनियम (5) के अधीन रजिस्ट्रकरण प्रदान करने की तारीख होगी।

(4) अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रत्येक प्रमाणपत्र समुचित अधिकारी द्वारा [1]**[**सम्यक रूप से हस्ताक्षरित या इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सत्यापित**]** होगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकरण नियम 9 के उप–नियम (5) के अधीन प्रदान किया गया है, वहां आवेदक को, रजिस्ट्रीकरण संख्यांक संसूचित किया जाएगा और उपनियम नियम (1) के अधीन इलैक्ट्रानिक सत्यापन कोड के माध्यम से सम्यक रुप से हस्ताक्षरित या सत्यापित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणत्र उसे नियम 9 के उपनियम (5) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् तीन दिन की अवधि के भीतर सामान्य पोर्टल पर उपलब्ध कराया जायेगा।

---

1 अधिसूचना क्रमांक 7/2019–केन्द्रीय कर, दिनांक 26.06.2017 द्वारा ''डिजीटल रूप से हस्ताक्षरित'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 22.06.2017)।